रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D.(D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1983/भाद्र 28, 1905
NO. 347] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 1983/BHADRA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1983

सा०का०नि० 711(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10) की धारा 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी किये गये उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 को उक्त धारा 12क के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रयोजनों के लिये एक विशेष आदेश के रूप में निर्दिष्ट करती है।

[सं० 17-27/83-एसटीयू]
एम०एस० चौहल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 1983

G.S.R. 711(E).—In exercise of the powers conferred by section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby specifies the Fertiliser (Central) Order, 1957, issued under section 3 of that Act, to be special Order for purpose of summary trial under the said section 12A.

[No. 17-27/83-STU]

M. S. CHAHAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983